संख्या-49/2023/615/2382477/2023/12-5099/4/2020

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 11 मई, 2023**

विषयः- मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना की वर्ष 2023-24 की कार्ययोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू०सं०/अभि०/जिप्सम कार्य यो०/24/2023-24, दिनांक 21.04.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना के अन्तर्गत जिप्सम वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य 26988 मै०टन के सापेक्ष राज्यांश के रूप में 25 प्रतिशत अनुदान की धनराशि रू० 284.05 लाख की कार्ययोजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :-

मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण वर्ष 2023-24 की कार्ययोजना

जिप्सम एक खनिज है, जिसमें $CaSO_4$ लगभग 70 % होने से सूक्ष्म तत्व गंधक (Sulphur) एवं कैल्शियम प्रचुरता में पाया जाता है। इसके प्रयोग से मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार होता है, जिससे फसलों के उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है। जिप्सम में विद्यमान सल्फर एवं कैल्शियम एवं अन्य सूक्ष्म तत्व भूमि की उर्वरा शक्ति के बढ़ाने में सहायक होते है।

1- भूमि में गन्धक की कमी के कारण पड़ने वाले दुष्प्रभाव:-

- नई पत्तियाँ पीली पड़ जाती है जो बाद में सफेद हो जाती है।
- तने छोटे, कमजोर तथा पीले पड़ जाते है।
- पौधो की बढ़वार रूक जाती है।

2- जिप्सम वितरण का उद्देश्य एवं लाभ:-

- क्षारीय/ऊसर भूमि को पुनः खेती योग्य बनाने में।
- जिप्सम में विद्यमान सूक्ष्म तत्वों के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ावा।
- भूमि के पी0 एच0 मान में संतुलन।
- मिट्टी की संरचना में सुधार।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- पौधो में कैल्शियम एवं सल्फर की कमी दूर करने में सहायक।
- जिप्सम के उपयोग से फसल के उत्पादन में 5 से 10 प्रतिषत से अधिक तक बढ़ोत्तरी।

3- **योजनान्तर्गत देय सुविधायें:-**

केन्द्रीय योजनाओं(एन0एफ0एस0एम0 एवं रा0कृ0वि0यो0) - 50 प्रतिशत अनुदान

राज्य सेक्टर से - 25 प्रतिशत अनुदान

जिप्सम का मूल्य:-(रू 0 4210 प्रति मै 0 टन)

योजना का विवरण:- (भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य)

(धनराषि लाख रू0 में)

योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य (मै 0 टन)	कुल लागत रू 0 4210 प्रति मै 0 टन	अनुदान (50 प्रतिशत केन्द्रीय योजनाओं से)	अनुदान (25 प्रतिशत राज्य सेक्टर से)	लाभार्थी अंश (25 प्रतिशत देय)
मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना	26988	1136 . 19	568 . 10	284 . 05	284 . 05
योग	**26988**	**1136 . 19**	**568 . 10**	**284 . 05**	**284 . 05**

4- **योजना का कार्यक्षेत्र:-** प्रदेश के समस्त जनपद(बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सातों जनपद को छोड़कर)

5- **जिप्सम वितरण हेतु कृषकों की पात्रता:-**

योजना के अन्तर्गत पहले आओ पहले पाओ के सिद्वान्त पर ही विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत समस्त श्रेणी के लाभार्थियों को 2 हेक्टेयर की सीमा तक ही अनुमन्य अनुदान पर जिप्सम उपलब्ध कराया जायेगा।

6- **योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण**

योजना का क्रियान्वयन जनपदीय उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी की देखरेख में कराया जायेगा। जिप्सम वितरण का कार्य जनपदीय उप कृषि निदेशक के निर्देशन में जिला कृषि अधिकारी द्वारा किया जायेगा। मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा भी अपने भ्रमण के दौरान रेण्डम आधार पर जिप्सम वितरण का अनुश्रवण किया जायेगा। निदेशालय स्तर के टास्क फोर्स अधिकारी द्वारा भी जनपदीय भ्रमण के दौरान जिप्सम अनुश्रवण की समीक्षा की जायेगी।

योजनाधिकारी योजना से सम्बन्धित जनपदों के उप कृषि निदेशकों/जिला कृषि अधिकारियों को योजना के अन्तर्गत अपने स्तर पर निर्धारित जिप्सम वितरण हेतु समय-समय पर दिशा निर्देश निर्गत करेंगे तथा प्रत्येक माह उप कृषि निदेशकों एवं जिला कृषि अधिकारियों से कार्य योजना में निर्धारित जिप्सम के वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष आपूर्ति एवं आपूर्तिकर्ता एजेन्सी को किये गये भुगतान की प्रगति की समीक्षा करेंगे। जनपदीय उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी प्रत्येक माह प्रगति की सूचना अपर कृषि निदेशक(भू0 सं0) को उपलब्ध करायेंगे। वित्तीय वर्ष के अन्त में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करते हुये आपूर्तिकर्ता एजेन्सी को समय से भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- <u>प्रस्तावित कार्य योजना का सारांश –</u>

- जिप्सम की आपूर्ति आपूर्तिकर्ता एजेन्सी द्वारा कृषि विभाग के आपूर्ति आदेश के अनुरूप जनपदों के विकासखण्ड स्थित राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर की जायेगी।
- यदि जनपदों से अतिरिक्त मांग अथवा बचत प्राप्त होती है एवं योजनाओं में धनराशि की उपलब्धता को देखते हुये आवश्यकता पड़ने पर जनपदों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों में संशोधन कृषि निदेशक स्तर पर कर लिया जायेगा।
- जिप्सम पर अनुदान का भुगतान पंजीकृत लाभार्थियों को डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा। कृषि बीज भण्डार पर जिप्सम के मूल्य की कुल धनराशि भुगतान कर लाभार्थियों द्वारा जिप्सम प्राप्त किया जायेगा जिसे नियमानुसार बीज भण्डार के कैशबुक में लेते हुये सम्बन्धित जिले के उप कृषि निदेशक द्वारा आपूर्तिकर्ता एजेन्सी को भुगतान किया जायेगा। उप कृषि निदेशक द्वारा केन्द्रांश के अन्तर्गत अनुमन्य 50 प्रतिशत अनुदान का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था के अनुसार डी0बी0टी0 के माध्यम से तथा राज्यांश के अन्तर्गत अनुमन्य 25 प्रतिशत अनुदान का भुगतान विभागीय पोर्टल पर प्रदत्त पारदर्शी किसान सेवा योजना की व्यवस्था के अनुसार लाभार्थी के बैंक खातें में डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।
- केन्द्रीय योजनान्तर्गत जिप्सम वितरण का कार्य एवं देय अनुदान सम्बन्धित योजना की गाइड लाइन के अनुसार सम्पादित किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री कार्यालय/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/जनपदीय उप कृषि निदशक, उत्तर प्रदेश।
7. सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in